दिनांक : 13.05.2015

सेवा में,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एवं
पदेन निदेशक,
नैशनल शुगर इंस्टीट्यूट,
कल्याणपुरी, कानपुर (उ0प्र0)।

विषयः <u>सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।</u>

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर विनम्र निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाने की कृपा करें। नियमानुसार 10/– रु. का पोस्टल ऑर्डर नं. 29एफ 304073 दिनांक 13.5.2015 संलग्न है। अतः निर्धारित समय अवधि में सूचना दिलवाने की व्यवस्था कर अनुगृहित करें।

चाही गई सूचना का विवरण

(1). यह कि राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि., नेहरू सहकार भवन स्थित मुख्यालय जयपुर के आदेशानुसार नैशनल शुगर इंस्टीट्यूट, कानपुर से नई शुगर मिल के निर्माण में सिविल कार्य, डिस्टलरी – शुगर फैक्ट्री के कार्य में उन तमाम मशीनों, उपकरणों, विद्युत टरबाईन, मोटरों एवं सिविल कार्य का डी.पी.आर. एवं एग्रीमेंट के अनुसार सामान, उपकरण, मशीनें, विद्युत का कार्य एवं सिविल कार्य सही व मापदण्डों के अनुसार हो रहा है अथवा नहीं। इन तमाम तथ्यों की जांच हेतु तीन अधिकारियों द्वारा श्रीगंगानगर जिले में नवनिर्मित शुगर मिल का निरीक्षण करने तीन अधिकारी कानपुर से आये। उन्होंने तमाम पहलुओं का निरीक्षण किया। कृपया उनके द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रमाणित रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

लगातार – 2

(2) यह कि उन तीनों अधिकारियों की अलग–अलग तकनीकी डिग्रियां अथवा डिप्लोमा अथवा विशेषज्ञता व अनुभव की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाये, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त तीनों अधिकारी अध्यापन कार्य के साथ–साथ सिविल कार्य, डिस्टलरी एवं शुगर फैक्ट्री की तकनीकी मशीनों, उपकरणों की विशेष जानकारी रखते हैं। सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाया जाये।

(3) यह कि इन तीनों अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कार्य के लिए मैनेजमैंट द्वारा कुल कितनी राशि टीए/डीए के रूप में भुगतान की गई अथवा अन्य कोई लाभ, परिलाभ दिया गया हो तो वह भी बताया जाये। सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाया जाये।

आदर सहित।

संलग्न :–

10/– रू. का पोस्टल ऑर्डर

न. 29एफ 304073

प्रार्थी

(लीलाधर पटवा) 23/5/18

1796 होमलैण्ड सिटी II, श्रीगंगानगर

मो. 9785407385

फा.25(52)/2014/RTI/17

RTI matter
Speed Post

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO प्रमाणित संस्थान 2008-9001

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन : 0512-2570542, 543

फैक्स : 0512-2570247

ई-मेल : nsikanpur@nic.in

जारी 317
संख्या 3-7-15
दिनांक

दिनांक: 28.06.2015

3-7-15

सेवा में,

श्री लीलाधर पटवा
1796, होगलैण्ड सिटी-II
श्रीगंगानगर - 335001

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक 13-05-2015 का सन्दर्भ लें।

आपके द्वारा मांगी गयी सूचना तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु रू. 2/- प्रति प्रतिलिपि के दर से 16 पृष्ठों के लिए रू.32/- (रूपये बत्तीस मात्र) कैश अनुभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा, जो कि कानपुर में देय हो, निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के नाम प्रेषित करने का कष्ट करें।

इसी क्रम में आपको यह सूचित किया जाता है कि डा. सन्तोष कुमार की अर्हता से सम्बन्धित सूचना आज की तिथि में **non-traceable** होने के कारण अनुपलब्ध है अतः इस सूचना को प्राप्त कर एवं उस पर लागू होने वाले शुल्क की सूचना आपको अलग से दी जायेगी।

भवदीय,

28/6/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

सं.25(52)/2014/RTI/17

RTI matter
By Speed Post

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO प्रमाणित संस्थान 2008-9001

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन : 0512-2570542, 543
फैक्स : 0512-2570247
ई-मेल : nsikanpur@nic.in

दिनांक: 03.08.2015

सेवा में,

श्री लीलाधर पटवा
1796, होमलैण्ड सिटी-II
श्रीगंगानगर 335001

जारी
संख्या ...
दिनांक 4/8/15

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

कृपया जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक 13-05-2015 तथा इस संस्था के समसंख्यक पत्र दिनांक 03-07-2015 का सन्दर्भ लें।

उपरोक्त दिनांक 03-07-2015 के क्रम में वांछित रू.32/- (रुपये बत्तीस मात्र) की राशि इस तिथि तक संस्थान में प्राप्त नहीं हुई है।

इसी क्रम में आगे आपको यह सूचित किया जाता है कि डा. सन्तोष कुमार की अर्हता से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु रू.2/- प्रति प्रतिलिपि के दर से 04 पृष्ठों के लिए रू.8/- (रूपये आठ मात्र) कैश अनुभाग में जमा कर रसीद प्रस्तुत करें अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा, जो कि निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर के नाम कानपुर में देय हो, प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

3/8/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी